

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को ध्वस्त करने हेतु नोटिस)

दिनांक:- 10/9/2026

पत्रांक: 1445 / वाद संख्या एल-0094/एस-11/2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री चरनपाल आदि, स्थल नन्दा एन्कलेव, सैनिक कालोनी, अपोजिट एल0पी0 विलाश, झाझरा देहरादून पर लगभग 05 बीघा पर डिमार्केशन करते हुए प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। स्थल पर कोई तलपट मानचित्र नहीं दिखायें जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओं एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए वाद संख्या एल-0094/एस-11/2025 योजित किया गया। उक्त समस्त अनाधिकृत प्लॉटिंग को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.03.2026 को ध्वस्त किया जाना था, परन्तु नियत तिथि पर क्षेत्रीय अभियन्ता अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकी। अतः उक्त समस्त अनाधिकृत प्लॉटिंग को दिनांक 15/09/2026 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पीठासीन अधिकारी/संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1:-नायब तहसीलदार देहरादून को अपर जिला मस्ट्रेट(प्र0) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए/2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
- 2:-पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न काने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुए पर्याप्त पुलिस बल(महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3:-थानाध्यक्ष प्रेमनगर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल(महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4:-क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 5:-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को दो वाहन एवं ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित समस्त सामग्री सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6:-आई0टी0 सैल को इस निर्देश के साथ की वेबसाइट पर अपलोड करने सुनिश्चित करें।
- 7:-विपक्षी श्री चरनपाल आदि, स्थल नन्दा एन्कलेव, सैनिक कालोनी, अपोजिट एल0पी0 विलाश, झाझरा देहरादून को इस आशय से प्रेषित उपरोक्त तिथि को आप स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना समस्त सामान हटा लें शेष नियम व शर्तें पूर्व आदेश पत्रांक संख्या 2537 दिनांक 27.11.2025 के अनुसार मान्य होगी।



प्रभोद

पीठासीन अधिकारी/संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।